

Form no. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
नाजम पुत्र मीने खां जाति मुसलमान साकिन 4 के एसएल उदयपुर तहसील सूरतगढ़
बनाम

कासम खां पुत्र युसुफ खां जाति मुसलमान साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमा:- 11, 14 सपठित धारा 14 (4) प्रकरण संख्या :- 46/2024 जीसीएमएस न. 2025/

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हए

08.7.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार-बार आवाजे लगाई गईं बार-बार आवाजे लगाये जाने के बावजूद ना तो वकील प्रार्थी हाजिर आये तथा ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेशिका दिनांक 16.10.2024 द्वारा जैर प्रकरण भूमि यथा उदयपुर मुसलमान के पत्थर न. 96/10 के किला न. 1 ता 8 की 2.024 है0 पत्थर न. 96/18 के किला न. 1 ता 10, 14 ता 16 की 3.036 है0 कुल तादादी 5.060 है0 बारानी भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

